सामाजिक विचारों के संदर्भ में 'गांधी व अम्बेडकर' – एक तुलनात्मक अध्ययन

*डॉ. राजश्री सेठी

सारांश

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके अस्तित्व व विकास के लिए समाज की अपनी महत्ती भूमिका है। सामाजिक सिद्धांत, उसकी प्रकृति मनुष्य के आचार–विचार, उसके मानसिक नैतिक विकास को प्रभावित करती है। इसलिए सामाजिक ढांचे पर विभिन्न विचारकों ने समय समय पर अपने विचार प्रकट किये हैं। 20 वीं सदी के महान विचारकों में महात्मा गांधी व डॉ. अम्बेडकर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तत्कालीन समाज में फैली बुराईयों के विरूद्ध दोनों ने अपने विचार रखें। दोनों ने इतिहास व समाज को अपने अपने अलग अलग रूपों में प्रभावित किया। जाति व्यवस्था व छूआछूत जैसी कूप्रथा जो समाज में निम्न दलित वर्ग के शोषण का आधार थी। दोनों की विचारक समाज को इससे मुक्त करना चाहते थे परन्तु दोनों के तरीके भिन्न थे। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था, मानववाद, नारी की स्थिति आदि मुद्दो इन्होंने जो विचार दिये इनमें कुछ में विचारों की समानता थी और कुछ में भेद। परन्तु यदि दोनों के विचारों का गहनता से अध्ययन किया जाये तो हम पाते हैं कि तमाम समानता और असमानता के बावजूद भी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितू पूरक हैं। दोनों का रास्ता अलग था परन्तु मंजिल एक ही थी और वो थी सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर समाज की पुर्नरचना करना।

Key Words – सामाजिक न्याय, वर्णव्यवस्था, जाति, स्त्री उत्थान, मानववाद

शोध पत्र का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य गांधी व अम्बेडकर के सामाजिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करना प्रस्तुत करना है।

1 गांधी व डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक विचारों को रेखांकित करना।
2 इनके विचारों में समानता असमानता के बिन्दूओं का अंकन कर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना।
3 वर्तमान परिस्थितियों में दोनों विचारकों के सामाजिक विचारों की प्रासंगिकता को स्पष्ट करना।

भाोधविधि

उपर्युक्त शोध हेतु आंकड़ों का संकलन प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोत के माध्यम से किया गया है। प्राथमिक स्त्रोत में गांधी व अम्बेडकर की रचनाओं, उनके व्याख्यान द्वारा एवं द्वितीयक स्त्रोतों में अन्य विद्वानों की रचनाओं, तात्कालिक पत्र पत्रिकाओं द्वारा आंकड़े एकत्र किये गये हैं।

प्रस्तावना

20 वीं सदी के महानतम चिंतकों की पंक्ति में महात्मा गांधी एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर का स्थान उल्लेखनीय है। दोनों ही विचारकों ने समाज के उत्थान को अपने विचारों में प्राथमिकता दी। महात्मा गांधी ने सर्वोदय समाज की कल्पना की। यह ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें समाज के समस्त सदस्यों का कल्याण हो। भारतीय दर्शन को गांधी जी ने अपने चिंतन का आधार बनाया लेकिन वे भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंधभक्त नहीं बने अपितु उन्होने उन सब प्रथाओं, परम्पराओं, एवं मान्यताओं का प्रबल विरोध किया जो उन्हें दूषित लगे। इस व्यवस्था को सुधारने का उन्होंने भरसक प्रयत्न किया।

अम्बेडकर का भी यह मानना था कि भारतीय संदर्भ में सामाजिक सुधार की राह स्वर्ग की राह की तरह कठिनाईयों से भरी है। अम्बेडकर का मानना था कि समाज पुर्नरचना के संदर्भ में राजनीतिक सुधार समाज के ऊपर प्राथमिकता नहीं पा सकते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास यह सिद्ध करता है कि राजनीतिक क्रांति हमेशा सामाजिक एवं धार्मिक क्रांतियों के बाद होती है उन्होंने युरोप में धर्म सुधार एवं पैगम्बर मुहम्मद द्वारा शुरू की गई धार्मिक क्रांति और भारत के बुद्ध एवं गुरूनानक की क्रांतियों का उदाहरण दिया। यद्यपि गांधी जी के लिये भारत

को राजनीतिक परतंत्रता से मुक्ति दिलाना प्राथमिक कार्य एवं शेष कार्य गौण थे, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गांधी जी ने समाज उत्थान के कार्य को पीछे छोड़ दिया बल्कि उन्होंने समाज में व्याप्त बुराईयों पर कटु प्रहार कर समाज के नवनिर्माण का प्रत्यत्न किया। इस प्रकार उन्होंने समाज सुधार का कार्य साथ–साथ जारी रखा।

गांधी जी ने समाज दर्शन को स्पष्ट करते हुए रोम्यां रोलां ने लिखा है कि गांधी जी के क्रिया कलाप को समझने के लिए यह ह्दयंगम कर लेना चाहिए कि उनका सिद्धान्त एक वृहत भवन के सदृश है जिसमें दो भिन्न–भिन्न मंजिले है। नीचे ठोस आधार है धर्म की मूल भित्ति का। इस विशाल एवं अडिग भित्ति पर आधारित है राजनीतिक और सामाजिक आन्दोलन। [1] लेकिन गांधीजी के मतानुसार इस धर्म का अर्थ साम्प्रदायिकता नहीं है। इसका अर्थ है विश्व के सुव्यवस्थित नैतिक शासन पर विश्वास। गांधी जी के सामाजिक पुनर्निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन व्यक्ति का नैतिक अनुशासन ही है। मनुष्य को इन नैतिक सिद्धान्तों का अनुगमन करना ही होगा। जो व्यक्ति नैतिकता के नियमों के अनुसार बिना नानुकर किये अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए प्रस्तुत नहीं है उसे ठीक–ठाक मनुष्य नहीं कहा जा सकता।

अम्बेडकर ने ऐसी सामाजिक संरचना की कल्पना की जिसके आधारभूत तत्व है – धर्म, व्यक्ति, सामाजिक प्रजातंत्र, राजनैतिक प्रजातंत्र और राज्य समाजवाद। सामाजिक संरचना के हिन्दु अर्थात परम्परात्मक भारतीय प्रारूप एवं अम्बेडकरीय प्रारूप में प्रमुख भिन्नता यह है कि पहली का केन्द्र बिन्दू जाति है तथा दूसरी का लक्ष्य बिन्दू व्यक्ति हे। अम्बेडकर वैयक्तिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इसी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया। गांधी जी व अम्बेडकर दोनों ही अपने समय के महान सुधारक रहे। यद्यपि दोनों का लक्ष्य एक ही था समानता के आधार पर समाज का पुनर्निमाण परन्तु दोंनों में कुछ बिन्दुओं को लेकर मतभेद था तो कुछ में समानता भी थी। दोनों महापुरूषों के सामाजिक कार्यो के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट को जाता है कि दोनों का लक्ष्य एक ही यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों का लक्ष्य एक ही था समानता के आधार पर समाज का पुनर्निर्माण परन्तु दोनों के विचार कुछ बिन्दुओं पर समानता रखते और कुछ में मतभेद। यहां उन बिन्दुओं का उल्लेख आवश्यक है।

वर्णाश्रम व्यवस्था

गांधी जी वर्णव्यवस्था के समर्थक थे। उनका मानना था कि वर्ण ही मनुष्य का जीवन धर्म है। गांधी जी कहते हैं कि गीता वर्ण को गुण व कर्म से मानती है किन्तु गुण तथा कर्म जन्म से ही उपलब्ध होते हैं। वे कहते है कि यदि वर्ण के आधार पर ब्राह्मण नहीं कहा जायेगा। प्रत्येक वर्ग के कार्यो को समान महत्व है। सामाजिक अर्थशास्त्र में मालिक और क्लर्क का अविभाज्य प्राणी के ही अंग है, जहां न तो कोई हीन है और न कोई श्रैष्ठ। [6] उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के संदर्भ में बनी है। वेदों में वर्णो के प्रथम उल्लेख में ही वर्णो की तुलना एक ही शरीर के विभिन्न हिस्सों से की गई है। क्या शरीर में सिर को बाहों से, धड़ से या पैरों से अधिक श्रैष्ठ या महत्वपूर्ण माना जा सकता है? वर्ण का नियम, ईश्वर की सारी संतानों में पूर्ण समानता पर आधारित है। स्मृतियों में शूद्रों के विषय में लिखे गये भेदभावपूर्ण श्लोकों को बिना संकोच के अस्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि वे मानवता की भावना के विपरीत है। [7] वर्ण व्यवस्था को गांधीजी ने सामाजिक संतुलन की शक्ति के रूप में देखा।

दूसरी और अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी थे। डॉ. अम्बेडकर ने गीता के इस कथन को स्वीकार नहीं किया जिसमें कहा गया है कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागज्ञः तस्य कर्तारमपि मां विद्वयकर्ता रमण्यम्। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णो का समूह गुण और कर्मो के विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उनका यह मानना था कि सामाजिक अन्याय का कोई भी अन्य उदाहरण मनुसंहिता की तुलना में फीका लगेगा। सवर्णो ने शूद्रो को जानबूझकर सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा ताकि वे अपने विरूद्ध हो रहे अन्याय का प्रतिकार न कर सके। चातुर्वण्य की अवधारणा प्रतिपालक और संरक्षक की संरचना पर आधारित है। अम्बेडकर का मानना था कि वास्तविक रूप से यह संबंध गुलाम और मालिक का है। वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय व पवित्र माना गया है इसीलिये जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं हो पाया। अम्बेडकर वर्णव्यवस्था पर आधारित समाज के स्थान पर एक ऐसा नेवीन समाज स्थापित करना चाहते थे जिसके मूलतत्व स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व हो। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जहां गांधी वैदिक कालीन वर्णव्यस्था को समाज के कल्याण के लिये आवश्यक मानते थे वहीं अम्बेडकर ने इसका पूर्णतः बहिष्कार किया।

जाति प्रथा संबंधी विचार

गांधी जी यद्यपि वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे परन्तु वे जाति व्यवस्था के कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था ने धर्म के बहाने लाखों – करोड़ों की हालत गुलामी की कर डाली है। [9] गांधी जी इसे सामाजिक गुलामी मानते थे। गांधी जी ने हरिजन में लिखा – यदि विश्व में जो कुछ है वह सब ईश्वर में व्याप्त है अर्थात ब्राह्मण और भंगी, पण्डित और मेहतर, सब में भगवान विधमान है, तो न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा, सभी सर्वथा समान है, समान इसलिए कि सभी उसी सृष्टा की संतान है [10] उनका मानना था कि हिन्दू धर्म ने वर्ण धर्म की तलाश करके और उसका प्रयोग करके दुनिया को चौंकाया है। जब हिन्दू अज्ञान के शिकार हो गये, तब वर्ण के अनुचित उपयोग के कारण अनगिनत जातियां बनी और रोटी–बेटी के व्यव्हार के अनावश्यक और हानिकारक बंधन पैदा हो गये। धर्म का इन पाबन्दियों के साथ कोई नाता नहीं है। अलग–अलग वर्ण के लोग आपस ने रोटी–बेटी व्यवहार रख सकते है। चरित्र और तंदुरूस्ती की खातिर ये बंधन जरूरी हो सकते है, लेकिन जो ब्राह्मण की लड़की से या शूद्र ब्राह्मण की लड़की से ब्याह करता है तो वह वर्ण धर्म को नहीं मिटाना। [11] वे हिन्दू धर्म में प्रचलित अस्पृश्यता रूपी दाग को मिटाना चाहते थे। उनका ये मानना था कि अस्पृश्यता केवल हिन्दू धर्म का अंग नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बीमारी है, जिसे दूर करना प्रत्येक हिन्दू का प्रमुख कर्तव्य है। अस्पृश्यता निवारण का तात्पर्य है समस्त संसार से प्रेम, समस्त संसार की सेवा और इस प्रकार यह अहिंसा से अभिन्न है। वे ये मानते थे कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किये बिना, स्वराज्य की प्राप्ति असंभव है और निरर्थक थी। [12] जातिप्रथा तथा अस्पृश्यता से इतने विचलित थे कि उन्होंने यहां तक कहा कि यदि उनका पुनर्जन्म हो तो एक अछूत के घर में हो, जिससे वे उसकी परेशानियों व दुखों में सहभागी बन सके। अतः स्पष्ट है कि गांधी ने जाति प्रथा और उसके अंग अस्पृश्यता का जोरदार खण्डन किया। उन्होंने इसे हिन्दू समाज में फैला अभिशाप बताया जो निरन्तर इसे पतन की और अग्रसर कर रहा है।

अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था की कटु आलोचना की। उनका मानना था कि जाति की नींव शास्त्रों से है इसीलिए इस प्रथा का उन्मूलन नहीं हो पाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक पुरूष एवं स्त्री को इस बंधन से मुक्त कराइए, शास्त्रो द्वारा प्रतिष्ठापित हानिकारक धारणाओं से उनके मस्तिष्क का पिण्ड छुड़ाइए, फिर देखिए वह आपके कहे बिना अपने आप अर्न्तजातीय खान–पान तथा अर्न्तजातीय विवाह का आयोजन करेगा। [13] उन्होंने शूद्रों व अछूतों को समझाया कि व्यक्ति सब समान है। परन्तु भारतीय समाज इस तरह जाति व्यवस्था में रचा बसा है कि सभी कुछ जाति के आधार पर ही तय होता है। श्रैणी कृत असमानता जाति व्यवस्था की आत्मा है। अम्बेडकर का विचार था कि कठोर जातिगत नियमों तथा पुरातन संस्कारों को बदला जाये ताकि भारत में एक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक समाज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया जा सके। [14] इस जाति व्यवस्था की बुराईयों को दूर करने के लिए उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र का विचार रखा। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए 25 नवम्बर 1946 को संविधान सभा में कहा कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है जीवन की पद्धति। इसी पद्धति जिसमें जीवन का सिद्धान्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व होता है। अम्बेडकर जातिवाद एवं वर्णव्यवस्था पर आधारित किसी भी समाज को न्यायोचित नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो नहीं तो, राजनीतिक स्वतंत्रता स्थायी सिद्ध नहीं होगी। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिभेद, छूआछूत को समाज के विकास में अवरोधक माना और इसे गरीबी का मूल कारण निरूपित किया।

अतः स्पष्ट है कि गांधी व अम्बेडकर दोनों ही जाति व्यवस्था के कटु आलोचक थे। दोनों ने ही अस्पृश्यता को हिन्दू समाज का कलंक माना। लेकिन एक तरफ गांधी जी हिन्दू धर्म की एकता को किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहते थे इसीलिए उन्होने 1932 में कम्युनल अवार्ड के विरूद्ध आमरण अनशन कर अम्बेडकर को पूना पेक्ट के लिए मजबूर किया। वे इसे हिन्दू धर्म की आंतरिक बुराई मानकर इसका समाधान आतंरिक रूप से ही चाहते थे। वहीं अम्बेडकर जो स्वंय अस्पृश्यता का दंश झेल चुके थे। अस्पृश्यता के इस मुद्दे को ब्रिटिश सरकार तक उठाया और अस्पृश्यों को अधिकार दिलाने के लिए उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। उनका ये मत था कि जब हिन्दू उन्हें अपने मंदिर में जाने की इजाजत ही नहीं देते, उनकी परछाई मात्र से अशुद्ध हो जाते है तो फिर अछूतों को स्वयं को हिन्दू धर्म में बनाये रखने से क्या लाभ। उनको वही धर्म अपनाना चाहिए जो उन्हे समानता प्रदान करता हो। इसीलिए उन्होने स्वयं भी हिन्दू धर्म त्यागकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया।

स्त्री–उत्थान संबंधी विचार

गांधी जी स्त्री पुरूष समानता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि गांधी जी कि स्त्री पुरूष की गुलाम नहीं है। वह अर्द्धांगिनी है, सहधर्मिणी है। उसको मित्र समझना चाहिए। [16] उनको अबला कहना उसका अपमान करना है। अगर ताकत का अर्थ पाशविक शक्ति से है तो अवश्य ही पुरूष की अपेक्षा स्त्री में कम पशुता है, पर इसका मतलब नैतिक शक्ति है तो अवश्य ही पुरूष की अपेक्षा स्त्री ही अधिक शक्तिशाली है।[17] उन्होंने बाल विवाह–देवदासी प्रथा के घोर विरोध किया। वे विधवा विवाह तथा अन्तर धार्मिक विवाह के समर्थक थे। उन्होंने वैश्यावृति, स्त्रीयों की खरीद फरोख्त के विरूद्ध भी खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने स्त्री को सम्पत्ति मानने से इंकार किया। वे उन्हें सामाजिक – आर्थिक मुख्यधारा से जोड़कर सशक्त बनाने के पक्षधर थे।

डॉ. अम्बेडकर समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे तिरस्कार को लेकर चिंतित थे। हिन्दू स्त्रियों के पतन का जिम्मेदार मनु को ठहराते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक '**हिन्दू नारी का उत्थान व पतन**' में लिखा कि हिन्दू नारी का पतन का जिम्मेदार हिन्दूओं का शास्त्रकार मनु ही था इसका कोई अन्य उत्तर हो ही नहीं सकता। [18] नारी सम्मान को वे इतना अधिक महत्व देते थे कि एक महिला मजदूर को अपमानित करने पर आपने अपने बड़े भाई को घर से निकाल दिया। [19] महिलाओं के समर्थन वाला हिन्दू कोड बिल 1951, डॉ. अम्बेडकर ने ही पेश किया था। इस बिल का जो भाग स्वीकार किया गया इससे महिलाओं को कुछ परिस्थितियों में पति से तलाक लेने व विधवा विवाह तथा पैतृक सम्पत्ति पाने का अधिकार व प्रसुति अवकाश का अधिकार मिल गया।[20] संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी सभी स्त्री– पुरूषों को समानता के स्तर पर लाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति का आधार इस आधार को मानता हूं कि उस समाज में नारी ने कितनी प्रगति की है।।

अतः स्पष्ट है कि गांधी जी व अम्बेडकर दोनों ही स्त्रीयों की समाज में प्रतिष्ठा व प्रगति के पक्षधर थे। दोनों ने स्त्री को सामाजिक विकास की धुरी मानते हुए उसकी दयनीय दशा के विरूद्ध आवाज उठाई और सामाजिक कुरीतियों का बहिष्कार किया।

सभ्यता और परम्परा

उपरोक्त मुद्दो पर दोनों के विचारों में असहमति प्रतीत होती है। गांधी जहां पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे तथा भारतीय सभ्यता को श्रेष्ठ स्थापित करना चाहते थे। वही दूसरी तरफ अम्बेडकर स्वयं को पश्चिमी विचार धारा एवं सभ्यता के साथ खड़ा पाते हैं। इनका मानना था कि छुआछूत, जातिवाद, जैसी कुरीतियां भारतीय सभ्यता की ही देने है। भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए गांधी रूडयार्ड किपलिंग के व्हाइट मेन्स बर्डन (White man's burden) के सिद्धान्त को चुनौती दे रहे थे। गांधी इस चुनौती द्वारा अंग्रेजों के भारत शासन को खारिज कर रहे थे।

मानववाद

गांधी जी के मानववाद का आधार सत्य और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्य थे। गांधी मूलतः, एक कर्मयोगी, धार्मिक और मानवतावादी प्रेरणा के पुरूष थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्रमय वर्जन, सर्वधर्म सम्भाव, स्वदेशी, नम्रता। ये सभी गांधी के निर्णायक एकादश तत्व थे। सभी मनुष्य परमात्मा की संतान है इसीलिए समान है।

अम्बेडकर का मानवतावाद सामाजिक मानवतावाद कहलाता है। उनका वह सिद्धान्त उन सभी विचारों का समर्थक है जो मानव प्राणियों के हित में है तथा जिसमें मानवता की सेवा होती है न किसी देवी–देवता या समूह विशेष की। स्वतंत्रता, समानता, भृातत्व व सामाजिक न्याय ये चार बिन्दू अम्बेडकर के मानववाद का आधार थे। उनके मानववाद में रहस्यवाद के लिए स्थान नहीं था, क्योंकि रहस्यवाद मनुष्य को सामाजिक उत्तरदायित्व से अलग कर देता है।

अम्बेडकर का मानवतावाद सामाजिक मानवतावाद कहलाता है। उनका यह सिद्धान्त उन सभी विचारों का समर्थक है जो मानव प्राणियों के हित में है तथा जिसमें मानवता की सेवा होती है न कि किसी देवी–देवता या समूह विशेष की। स्वतंत्रता, समानता, भृातत्व व सामाजिक न्याय ये चार बिन्दू अम्बेडकर के मानववाद का आधार थे। उनके मानववाद के लिए स्थान नहीं था, क्योंकि रहस्यवाद मनुष्य को सामाजिक उत्तरदायित्व से अलग कर देता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विभिन्न वैचारिक समानताओं एवं असमानताओं के बावजूद गांधी और अम्बेडकर एक दूसरे के पूरक है। उन्हें अलग–अलग ध्रूवों पर स्थापित करने की बजाय एक दृष्टि से देखना चाहिए। दोनों ने समाज को अलग–अलग रूपों में प्रभावित किया है। दोनों की मंजिल एक थी। समानता के आधार पर समाज का पुनर्निर्माण। समाज का निचला तबका जिसे दलित कहकर सम्बोधित किया जाता था उसको न्याय दिलाना। परन्तु दोनों ही महापुरूषों के तरीके अलग–अलग थे। दोनों के विचारों ने एक दूसरे को प्रभावित भी किया तो कहीं टकराव भी हुआ। वर्तमान समय में जब पूरा विश्व सामाजिक विघटन के सक्रंमणकालीन दौर से गुजर रहा है ऐसे में गांधी व अम्बेडकर दोनों के विचारों में समन्वय स्थापित कर ही हम सामाजिक समस्याओं का समाहार कर सकते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज की पूर्णताः प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आधारशिला हमने संविधान में रखी थी।

***सहायक आचार्य (इतिहास विभाग)**
माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय
भीलवाड़ा (राज.)

संदर्भ ग्रंथ

1. रोम्यां रोलां, महात्मा गांधी, द्वितीय भारतीय संस्करण, 1948 पृ. 215
2. हरिजन, 10 फरवरी 1940
3. महात्मा गांधी, एथिकल रिलीजन, पृ.36
4. हिन्दी नवजीवन (3.11.1927) पृ. 87
5. यंग इंडिया, भाग 3 पृ.474
6. प्रसाद, डॉ. उपेन्द्र, गांधीवादी समाजवाद, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली 2001 पृ.111
7. हरिजन, 29 सितम्बर 1934
8. अम्बेडकर, बी.आर. एनहीलेशन ऑफ कॉस्ट, थैंकर एण्ड कम्पनी, बम्बई 1937, पृ. 47
9. मथरूवाला, किशोरीलाल : गांधी विचार दोहन, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, सन् 1999
10. चंदेल, डॉ. धर्मवीर, गाधी चिन्तन के विभिन्न पक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2012, पृ.18
11. गांधी जी मेरे सपनों का भारत, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद सन् 1999, पृ.263
12. शर्मा, बी.एम. शर्मा, राम कृष्ण दत्त, शर्मा, डॉ. सविता, गांधी दर्शन के विविध आयाम, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2007, पृ.41
13. अम्बेडकर, डॉ. भीमराव–सम्पूर्ण वाडमय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1993, खण्ड 1, पृ. 92
14. डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर – लेख एवं भाषण, खण्ड–1, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तरप्रदेश, तृतीय संस्करण, पृ.114
15. संविधान सभा, वाद–विवाद, खण्ड–1, पृ. 80–81
16. हिन्दी नवजीवन, 4–2–1924, पृ.23
17. प्रसाद, डॉ. उपेन्द्र, गांधी समाजवाद, नमन प्रका"ान, नई दिल्ली, 2001, पृ.115
18. डॉ. कालीचरण 'स्नेही' भारत रत्न, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, पृ.54
19. रत्तु, नानकचंद, लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ डॉ. अम्बेडकर पृ. 38
20. भाटी, डॉ. पी.एस, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जीवन व विचारधारा, राजस्थानी ग्रंथागार, पृ. 149–150
21. सिविल सर्विसेज कानिकल, जुलाई 2018, पृ.165